



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : dc1004f35971d36cb6ce

Receipt Date : 31-May-2023 02:41:09 pm

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Partition

District Name : Garhwa

Stamp Duty Paid By : FIROJ KURAISHI

Purpose of stamp duty paid : PARTITION

First Party Name : ABDUL ALIM

Second Party Name : FIROJ KURAISHI

GRN Number : 2317487096

Book No. 20 8500 Date 01/6/2023

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Abdul Alim

31-5-2023



NOTARY
C. Bhaga
Notary



भांटेवाणनामा

2023-09-14
23/09/2023

आपसी सहमति से पिता पुत्र के बीच घर मकान की भूमि का शपथ पत्र के माध्यम से बांटेवाणनामा

| | |
|---------------------------------------|--|
| 1. प्रथम पक्ष का नाम वी पूरा पता :- | अच्छुत अतिम वत्त अच्छुत सखुर मरहुम निवास ग्राम सोनपुरवा पोस्ट वी थाना गढ़वा जिला गढ़वा, अन्दर नगर परिषद गढ़वा, झारखण्ड, पेसा गृहस्थी, राष्ट्रीयता भारतीय। आधार सं० 4871 8038 6028 |
| 2. द्वितीय पक्ष का नाम वी पूरा पता :- | फिरोज कुरैशी वत्त अच्छुत अतिम कुरैशी कायम निवास ग्राम सोनपुरवा पोस्ट वी थाना गढ़वा जिला गढ़वा, अन्दर नगर परिषद गढ़वा, झारखण्ड, पेसा गृहस्थी, राष्ट्रीयता भारतीय। आधार सं० 4119 9371 6807 |
| 3. लेख्य प्रकार- | आपसी सहमति से पिता पुत्र के बीच घर मकान की भूमि का शपथ पत्र के माध्यम से बांटेवाणनामा |



| | | |
|----|---------------------|---|
| 4. | बाटवारा की सम्पत्ति | मवाजी 0-28 ¹ / ₄ डी० (अठाईस पूर्णांक एक बट्टा चार डी०) जमीन किस्म टाइ I जो वाके मौजा उँचरी, अन्दर नगर परिषद गढ़वा, अंचल व थाना गढ़वा जिला व जिला निबंधन कार्यालय गढ़वा में स्थित है। जो हकीयत कास्त रैयती भूमि घर मकान की भूमि है। जिस पर दखल कब्जा निर्विवाद है। जिसका मांग प्रथम पक्षकार अब्दुल अलिम चीक के नाम से मांग वही के पेज सं० 36/7 पर चलता है। जिसका विवरण नीचे दर्ज है। |
|----|---------------------|---|

पूरा भूमि का विवरण

| ग्राम उँचरी | थाना नं० | तौजी नं० | खेवट नं० | वार्ड सं० |
|-------------|-----------|-----------------|--|-----------|
| | 241 | 129बी. | 1 | 6 |
| खाता नं० | प्लॉट नं० | कुल रकबा ए०-डी० | | |
| 58 | 724 | 0-06 | | |
| 58 | 725 | 0-02 | | |
| 62 | 727 | 0-11 | | |
| 62 | 726 | 0-12 | | |
| योग | 2 - | 4 - | 0-31डी० जमीन मेंसे बाटवारा की रकबा 0-28 ¹ / ₄ डी० जमीन | |

31/12/23
 1-6-2023

यह कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार आपस में पिता पुत्र है। प्रथम पक्षकार वृद्ध हो गये हैं प्रथम पक्षकार के सात पुत्र हैं। ग्राम उँचरी के घर मकान की भूमि मेंसे पूर्व में तीन लड़कों को पंचनामा कागज से बाटवारा कर दिया हूँ।

जिनका नाम क्रमश (1) मो० मुस्लिम कुरैशी मरहुम के पुत्र अमन आलम कुरैशी (क) इनायत आलम वो इनकी बीबी शहनाज परवीन (2) मो० इसलाम कुरैशी (3) मो० तसलीम कुरैशी है।

यह कि आज चार लड़कों के नाम से बाटवारानामा कर रहे हैं उनका नाम इस प्रकार है:- (1) असलम कुरैशी (2) फिरोज कुरैशी (3) मो० सुलेमान कुरैशी (4) रिजवान कुरैशी वल्दान अब्दुल अलिम चीक ।

यह कि मैं प्रथम पक्ष वृद्ध हो चुका हूँ। पहले दो पुत्र एवं दो पोता एवं पतोहु के बीच पंचनामा द्वारा घर मकान की भूमि का



बांटवारा कर दिया हूँ। शेष चार लड़कों के बीच आज शपथ पत्र के माध्यम से घर मकान वो मकान बनाने योग्य भूमि का चारो लड़को के बीच भेलुऐशन के आधार पर अमीन जागेश्वर प्रसाद यादव ग्राम बघौता थाना व जिला गढ़वा से मौके पर स्थल की मापी कराकर रकबा चारों के तक्ते में दिया गया रकबा उनके तक्ते में दर्शा दिया जा रहा है जिसपर दाखिल काबीज रहेंगे एवं अपना-अपना मकान बनाएंगे। एक दूसरे के तक्ते की भूमि से कोई सरोकार नहीं होगा।

यह कि इसी बांटवारानामा में मिली भूमि का अंचल कार्यालय गढ़वा के यहां अपना-अपना नामान्तरण करा कर सरकारी मालगुजारी रसीद कटवा सकते हैं।

यह कि हमारे सातो लड़के एवं पोता वालिग हैं एवं अलग-अलग रहकर अपना-अपना कारोबार अलग-अलग करते चले आ रहे हैं।

नोट:- यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकार यानि छवों लड़के एवं पोता एवं पतोहू के बीच यह तय हुआ है कि मैं पथम पक्ष अपने जीवन काल में अपनी सम्पति (भूमि) का बांटवारा कर दे रहा हूँ। लेकिन जो लड़के एवं पोता पतोहू दूकान या मकान बनाकर किराया में लगायेंगे तो उसका किराया की राशि जीवन भर प्रथम पक्ष लेते रहेंगे। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले पक्षकार कानूनन एवं सामाजिक दृष्टिकोण से दोषी समझे जायेंगे।

यह कि तक्ता सं० (1) असलम कुरैशी तक्ता सं० (2) फिरोज कुरैशी तक्ता सं० (3) मो० सुलेमान कुरैशी तक्ता सं० (4) रिजवान कुरैशी को दिया गया है तथा मौके पर जो रकबा में काबीज है तथा पिता के द्वारा निर्धारित कर के दिया गया है वही रकबा पर रहेंगे।

यह कि तक्ता सं० (3) में मो० सुलेमान कुरैशी के तक्ते में दादा का मजार वो इमाम बारगाह मौजूद है वह सदा केलिए सातो भाईयों के बीच रहेगा। इस स्थल पर कोई छेड़-छाड़ नहीं करेगा। शेष भूमि वो मकान पर तक्तादार सुलेमान कुरैशी ही रहेंगे।

असलम कुरैशी
26/1-6-2023

2

तक्ता सं० (II)
फिरोज कुरैशी वल्द अब्दुल अलिम चीक के हिस्से की जमीन
का विवरण

| ग्राम उंचरी | थाना नं० 241 | तौजी नं० 129बी. | खेवट नं० 1 | वार्ड सं० 6 |
|----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|
| खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा ए०-डी० | चौहदी | |
| 58 | 725 | 0-05 ⁷³³ / 1000 | उ० असलम कुरैशी, द० सुलेमान कुरैशी, पु० गलियारी वो सहदुल्लाह कुरैशी का मकान, प० पी०सी०सी०रोड व नाली, | |
| 62 | 727 | | | |
| योग | 2 - | 2 - 0-05 ⁷³³ / 1000 | डी० जमीन वो मकान | |

यह कि यह आपसी सहमति से पिता पुत्र के बीच घर मकान की भूमि का बांटवारानामा शपथ पत्र के माध्यम से चार मूल प्रति में तैयार किया गया है जो चारो फरिक्न को अपने-अपने तक्ते की भूमि का एक-एक मूल प्रति दिया जा रहा है। जो समय जरूरी पर काम आवे वो भविष्य के लिए कागजी प्रमाण रहे।

अब्दुल अलिम

शपथकर्ता

उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपरोक्त सभी बाते मेरे निर्देशानुसार लिखी गई है। जो मेरी जानकारी में सही वो सत्य है।

अब्दुल अलिम

शपथकर्ता

उपरोक्त शपथकर्ता, जिनका पहचान मैं करता हूँ। जिन्होंने इस शपथ पत्र पर मेरे सामने अपना हस्ताक्षर/बाये अगुठे का निशान बनाये हैं।

अब्दुल अलिम
1-6-23
अधिवक्ता

उपरोक्त शपथकर्ता, जिनका पहचान श्री
अधिवक्ता गढ़वा ने की है।



अब्दुल अलिम
1-6-2023

(3)

उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक मेरे समक्ष इस शपथ पत्र का करते है। आज दिनांक 21.04.2023 को ।
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर



NOTARY
R. C. Bhagat
Dist - Garhwal



अखिलेश कुमार
No 1-6-2023

पिरोज कुंरी

गवाह:-

1-6-2023

परवेज साहिलबाबु अली साहि
गाम जौवरइयों पोरा नवादा थरगा
जिला गढ़वाल गठ 01-06/2023
मठ नं 4876-7885-5932

01/6/23
नोटरी पब्लिक
गढ़वाल

NOTARY
R. C. Bhagat
Dist - Garhwal

